


पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या: 497(A)/2021

इस कार्यालय के पत्र संख्या: का/283/अम-अरे/पार.स्थानां/परि/सोन/2021 दिनांक:05.07.2021 एवं मरेप्र (कार्मिक)/पूर्व तटीय रेल/खुर्दारोड मंडल के पत्र संख्या: P/Optg/IRMT/MBY-A/2021 दिनांक: 14.06.2021 के द्वारा सुश्री आकांक्षा, ट्रा10 पोर्टर/बरौनी, अधीन स्टेघी/बरौनी, सोनपुर मंडल एवं श्री मनी भूषण यादव, लीवरमैन/घंटीखाल, पूर्व तटीय रेल/खुर्दारोड मंडल के साथ वेतनमान (5200-20200)+जीपी-1800 (लेवल-01) में अंतर रेल/मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है।


अतः सुश्री आकांक्षा, ट्रा10 पोर्टर/बरौनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ किसी कार्य दिवस में विरमित कर भेजें, जिससे कि कर्मचारी सुश्री आकांक्षा को पूर्व तटीय रेल/खुर्दारोड मंडल के लिए विरमित किया जा सके। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन अनुभेय होगा।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर, एसपीई एवं विजिलेंस मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।


(विजय इंजीनियर)
सकाधि-III
कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर
दिनांक: .08.2021

संख्या: का/283/अम-अरे/पार.स्थानां/गुप-डी/परि/सोन/2018
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मरेप्र (का0)/पूर्व तटीय रेल/ खुर्दारोड मंडल।
2. वमपचाप्र/सोनपुर एवं वमविप्र/सोनपुर।
3. स्टेघी/बरौनी।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. कार्यालय प्रति।
6. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।


कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर